

कार्यालय

पत्रांक: 3219 / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 11.07.2020

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के श्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत करना है कि मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है-

शहरी क्षेत्र-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम्, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या-4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।

- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 11.07.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। "

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 89 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 14-मौ0 देवीपुरा-1, बुलन्दशहर, मौ0 राधानगर बुलन्दशहर, हीरापुर कालोनी, निकट ऋषि पैलेस बुलन्दशहर, आवास विकास द्वितीय बुलन्दशहर, यमुनापुरम फेज-2 बुलन्दशहर, बीसा कालोनी बुलन्दशहर, मौ0प्रेमनगर, बुलन्दशहर, मौ0तेलीबाडा, अम्बर सिनेमा के पीछे,

बुलन्दशहर, ईदगाह रोड बुलन्दशहर व मान सरोवर कालोनी बुलन्दशहर, मौ०आर०के०पुरम, बुलन्दशहर, मौ०नदरसा बुलन्दशहर, मौ० सादर पंचायत क्षेत्र बुलन्दशहर, दुर्गापुरम नगर पंचायत क्षेत्र बुलन्दशहर बने है। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 75 हॉटस्पॉट-मौ० पीरजादगान खुर्जा, खत्रीवाड़ा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्दाबाद, मौ० छत्तियावाड़ा सिकन्दाबाद, मौ० पीरगान वि०ख० गुलावटी तहसील सदर, मौ० सराफा बाजार गुलावटी तहसील सदर, मौ० टीचर्स कालोनी वार्ड सं०-21 सिकन्दाबाद, मौ० होली ब्रह्मनन खुर्जा, मौ० हस्तिगंज, डिबाई, सराय शेख आलम, वार्ड सं०-14 खुर्जा, फूटा दरवाजा, मौ० पंजाबियान खुर्जा, करीमपुर उर्फ डॉकर, खुर्जा, मौ० हीरा कालोनी सिकन्दाबाद, नगला सारंगपुर का माजरा, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम फरीदपुर, वि०ख० व तहसील सिकन्दाबाद, ग्राम गंसुपुर वि०ख० व तहसील सिकन्दाबाद, मौ० मुकरबा, खुर्जा, मौ० भोले की चौपाल, ग्राम कर्नाना वि०ख० ऊँचा गाँव व तहसील स्याना, मौ० चौधरियान स्याना, मौ० मुफ्तीवाड़ा शिकारपुर, मौ० चन्द्रलोक कालोनी (नवलपुरा) खुर्जा, मौ० बुर्ज उस्मान खुर्जा, मौ० अकबरबाद स्याना, ग्राम अगवाल, वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम नगला डकौली, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, झब्बा कालोनी औरंगाबाद, ग्राम शिवाली/किशनपुर, वि०ख० लखावटी व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम लौहलारा, वि०ख० अगीता व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम किला मेवाई वि०ख० व तहसील खुर्जा, ग्राम दौलतपुर खुर्दा डिबाई, मौहल्ला चौहट्टी स्याना, ग्राम मोंगलौर वि०ख० लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम गालिबपुर, विकास खण्ड दानपुर तहसील डिबाई, बिलाल मस्जिद वाली गली, खुर्जा, केशवपुरी, खुर्जा, ग्राम गोंगरोल वि०ख० व तहसील सिकन्दाबाद, मौ०पुष्पा बाजार जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, मौ०खाकरोवान जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम बरौरी वि०ख०अगीता व तहसील बुलन्दशहर, मौ०छपेटी वार्ड सं० 11 पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम कलीली, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सुजापुर धमैक वि०ख० अगीता तहसील बुलन्दशहर, मौ०वैश्यान, ककोड तहसील सिकन्दाबाद, नई बस्ती नगर पंचायत औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर, गंज सादात शिकारपुर, मौ० काजीवाड़ा शिकारपुर, कायमपुर/मटौना, वि०ख० गुलावटी, तहसील बुलन्दशहर, काशीराम आवसीय कालोनी कालिन्दी कुंज खुर्जा, न्यू शिवपुरी खुर्जा, मौ० काजीखेल, नगर पंचायत पहासू तहसील शिकारपुर, मौ०शहीद स्मारक, ग्राम खरकाली, वि०ख० बी०बी०नगर तहसील स्याना, मौ०दीनदयाल पार्क, वार्ड सं०-8 नगर पंचायत बी०बी०नगर तहसील स्याना, मौ०पुराना डाकखाना, स्याना, ग्राम चिंगरावली वि०ख० व तहसील खुर्जा व मौ०प्रेम नगर, बुलन्दशहर, ग्राम डरौरा विश्वनाथपुर वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई, मौ० महादे डिबाई, मौ० तेलीबाड़ा, अम्बर सिनेमा के पीछे बुलन्दशहर, ब्रह्म दरवाजा, मेन बाजार बी०बी०नगर तहसील स्याना, कुन्हारों का मौहल्ला, ग्राम बिगराऊ वि०ख० व तहसील स्याना, ग्राम आंचरू खुर्दा, वि०ख० व तहसील शिकारपुर, मौ०खटिकाना ग्राम मुनि, वि०ख० अर्निया तहसील खुर्जा, गली सं०-2 मुरारी नगर शिकारपुर रोड खुर्जा, ग्राम तेलिया नगला वि०ख० व तहसील अनूपशहर, ग्राम जटपुरा मुझीमपुर वि०ख० तहसील शिकारपुर, मौ०पठान टोला, तहसील शिकारपुर, ग्राम मीरापुर ख्वाजपुर वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर, जाटव वाला मौहल्ला, ग्राम गजरौला वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, प्राईमरी स्कूल वाला मौहल्ला, ग्राम बनमौरा वि०ख० ऊँचागाँव तहसील स्याना, मौ०नीगंज शिकारपुर तहसील शिकारपुर, ग्राम आजमपुर उर्फ तोरई, वि०ख० व तहसील अनूपशहर, मौ०पवित्रपुरी अनूपशहर, मौ० नेहरगंज अनूपशहर, मौ० पुरानी मण्डी अनूपशहर, मौ० मीरा, अनूपशहर, मौ०सईदगढी नगर पंचायत औरंगाबाद तहसील सदर बुलन्दशहर, मौ०नयागाँव वि०ख०अगीता तहसील सदर बुलन्दशहर, ग्राम सीही वि०ख० अगीता तहसील सदर बुलन्दशहर, ग्राम समैता शफीपुर वि०ख० व तहसील खुर्जा बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 11.07.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-872 है, 274 व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन में है जनपद में 24 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं व छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफ लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ सक है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

11/07/2020
अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

स्थानीय

दिनांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-जुलाई 11, 2020

सेवा में,


अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।



प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर